सं0–256/xxv।।। (3) 2004–02/2004

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांक : 26 फरवरी,2005

विषयः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ,बडकोट, जनपद उत्तरकाशी के भवन निर्माण की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक आपके पत्र सं0–7प/1/सी.एच.सी./63/2003/22670 दिनांक 30.12.2003 के संदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–2005 मे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बडकोट जनपद उत्तरकाशी के भवन निर्माण हेतु संलग्नकानुसार रू0 1,58,24,000=00 (एक करोड अठावन लाख चौबीस हजार मात्र) की लागत पर प्रशासनिक /वित्तीय अनुमोदन तथा चालू वित्तीय वर्ष 2004–2005 मे व्यय हेतु रू0 40,00,000=00 (रू0 चालीस लाख मात्र) की धनराशि की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

1– एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लें।

2– कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टयों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

3– उक्त धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात् राजकीय निर्माण निगम लि0 ,नई टिहरी को उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा मे इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित वाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका मे उल्लिखित प्राविधानों मे बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित् किया जायेगा।

5– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों मे जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट मे स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, कि स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण स्तर के अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

7– कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8– एक मुश्त प्राविधन को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एव लोक निमार्ण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

10– कार्य करने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ आवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निद्रेशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

11– आगणन जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाए। निर्माण सामग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय, उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाए।

12– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा मे माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्गत किया गया है।

13– निर्माण के समय यदि किसी कारणवश यदि परिकल्पनाओं/विशिष्टयों मे बदलाव आता है तो इस दशा मे शासन की सवीकृति आवश्यक होगी ।

14– निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू–भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू–भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय।

15– उक्त व्यय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक मे अनुदान संख्या –12 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत–02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें –104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–03–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण (विस्तार अंश) 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न पुनर्विनियोजन प्रपत्र बी0एम0–15 के अनुसार 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय –आयोजनागत–03 चिकित्सा–शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105–एलोपैथी 05–रूद्रपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु बेस चिकित्सालय का उच्चीकरण–00–24 वृहत निर्माण कार्य की बचत से वहन की जोयगी ।

16– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–1261/वित्त अनुभाग–2/2004 दिनांक 22.2.2005 मे प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है ।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

पृ0स0–1079(1)/XXV।।। (3) 2004–201/2004

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देरादून ।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।
3– कोषाधिकारी, देहरादून
4– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी
5– मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी ।
6– उ0 प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0,चमोली।
7– निजी सचिव मा0 मुख्य मुख्यमंत्री।
8– वित्त अनुभाग–2/नियोजन विभाग/एन.आई.सी.
8– वित्त अनुभाग–2/नियोजन विभाग/एन.आई.सी./ ।
9– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

शासनादेश सं0-256/XXVIII(4)-2004-02/2005 दिनांक 26.2.05 का संलग्नक ।

(वित्तीय वर्ष 2004 05)

नियंत्रकअधिकारी, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
अनुदान सं0-12 उत्तरांचल, देहरादून ।

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण (मानक मद)	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिनमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है (मानक मद)	पुर्न-विनियोजन के बाद अवशेष धनराशि	पुर्न-विनियोजन के बाद कॉलम-1 की अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत –03चिकित्साय शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान105–एलोपैथी 05–रुद्रपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु बेस चिकित्सालय का उच्चीकरण –00– 24–गृहत निर्माण कार्य 33000	2000	3548	27452	4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत –01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें 104–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो का निर्माण 02–सामु0 स्वास्थ्य केन्द्रो का निर्माण(विस्तार अंश 24–गृहत निर्माण कार्य । 4000	19828	23452	(अ) रुद्रपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु बेस चिकित्सालय का उच्चीकरण योजना में आवश्यकता से अधिक बजट प्राविधान होने के कारण धनराशि की बचत है । (ब) सामुदायिक स्वा0केन्द्र के भवन निर्माण कार्य हेतु धनराशि की आवश्यकता है।
योग– 33000	2000	3548	27452	4000	19828	23452	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुर्नविनियोग में बजट मैनुअल के परिच्छेद 151,156 में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं सीमाओं का उल्लंघन नही होता है ।

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव